# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची

**एस0ए0आर0 अपील वाद सं0'81आर.15/2007–08**

पुरूषोत्तम कौशिक – अपीलकर्त्ता

बनाम

कृष्णा पाहन बगैरह – प्रतिवादी

---

## आदेश

12-06-2008

पुरूषोत्तम कौशिक एवं अन्य की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने आज बहस करते हुए कहा कि वर्त्तमान न्यायालय द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील वाद सं0– 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/2006–07 में पारित दिनांक–20.12.2006 के आदेश का अक्षरशः अनुपालन निम्न न्यायालय द्वारा नही किया गया है। वर्त्तमान न्यायालय के आदेश का उल्लेख्य करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि निम्न न्यायालय को यह जॉच का निदेश दिया गया था कि अपीलकर्त्ताओं के मकान और अवधि पर विस्तृत जॉच करते हुए द्वितीयक परन्तुक के अनुरूप वाद का निष्पादन करें। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि निम्न न्यायालय के वाद सं0–408/04–05 में पारित दिनांक–16.01.2008 के आदेश से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा निर्माण अवधि के संबंध में सभी संबंधित पक्षों के समक्ष जॉच नही किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि निर्मित संरचना 1969 के पूर्व के नही है।

अतः इस वाद को निम्नलिखित बिन्दुओं पर पुर्न सुनवाई हेतु पुनः वापस किया जाता है।

1. संरचना के संबंध में सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी द्वारा पारित नक्शों की जॉच की जाय।
2. सभी मकानों के संदर्भ में होल्डिंग की भी जॉच की जाय जिससे यह पता चल सके कि मकान कब बना है।

3. सभी निर्मित संरचनाओं के संदर्भ में यह भी जॉच की जाय कि उनमें विद्युत आपूर्त्ति बोर्ड द्वारा कब दी गई थी।

4. सभी निर्मित मकानों के संदर्भ में यह साक्ष्य लिये जाये कि जलापूर्त्ति का संयोजन कब लिया गया था।

5. स्थल के सभी पक्षों के संबंध में ब्योरा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर छानबीन करते हुए नये सिरे से आदेश पारित किया जाय।

अतः निम्न न्यायालय का दिनांक–16.01.2008 का आदेश विखण्डित करते हुए वर्त्तमान अपील को प्रारंभिक चरण में ही स्वीकृत किया जाता है और निम्न न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की सुनवाई करते हुए उचित आदेश पारित करें।

अपर समाहर्त्ता,
रॉची।